रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 544] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 2011/आश्विन 7, 1933
No. 544] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 2011/ASVINA 7, 1933

## संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2011

**सा.का.नि. 727(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग समूह "क" पद (संशोधन) नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 2009 की अनुसूची में क्रम सं. 12 पर उप-वित्त सलाहकार और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् क्रमशः निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

### अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन अथवा अचयन पद | सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| "13. संयुक्त निदेशक (भवन) | 01*(2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित अनुसचिवीय | वेतन बैंड-3; 15600-39100 रु. धन 7600 रु. ग्रेड वेतन | चयन पद | लागू नहीं होता । |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता । |
|---|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन। |

| प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना। | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 |
| प्रोन्नति : वेतन बैंड-3, 15600-39100 रूपए, ग्रेड वेतन 6600 रुपए में पांच वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले कार्यकारी इंजीनियर (सिविल/ वैद्युत)।<br><br>टिप्पण 1 : ज्येष्ठता किसी अभ्यर्थी को उच्चतर पद के लिए प्रोन्नति के लिए तब तक पात्र नहीं बनाती है जब तक कि वह सुसंगत नियमों के अधीन विहित पात्रता को पूरा नहीं करता है। अभ्यर्थी पर, पद के लिए विहित अर्हताओं को ध्यान में रखते हुए प्रोन्नति के लिए उसके पात्र होने के पश्चात् ही विचार किया जा सकता है। पात्र व्यक्तियों के मध्य ही ज्येष्ठता सुसंगत होगी। ज्येष्ठता को पात्रता के स्थान पर नहीं रखा जा सकता है न ही अगले उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए इसका अध्यारोही प्रभाव हो सकता है।<br><br>टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है की गई नियमित सेवा को आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।<br><br>टिप्पण 3 : ऐसे व्यक्तियों के लिए पात्रता सेवा तीन वर्ष तक बनी रहेगी जो मूल नियमों क प्रकाशन की तारीख को नियमित आधार पर फीडर पद धारण किए हुए हैं।<br><br>प्रतिनियुक्ति : भारत सरकार/राज्य सरकार /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत निकायों के ऐसे अधिकारी-<br><br>(i) जो मूल संवर्ग / विभाग में सदृश समान पद धारण कर रहे हैं,<br><br>(ii) मूल संवर्ग/ विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपए, ग्रेड वेतन 6600 रुपए में तीन वर्ष की नियमित | समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :<br><br>1. प्रमुख, कार्मिक - अध्यक्ष<br><br>2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार,<br>सूचना प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य<br><br>3. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से भिन्न किसी अन्य मंत्रालय या विभाग में संयुक्त सचिव, भारत सरकार - सदस्य | लागू नहीं होता।" |

| | | |
|---|---|---|
| सेवा रखने वाले कार्यकारी इंजीनियर (सिविल/ वैद्युत)।<br><br>टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br><br>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br><br>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्रीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनर्रीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है।<br><br>टिप्पण 4 : इस विभाग में प्रतिनियुक्ति पर तैनात कार्यकारी इंजीनियर (सिविल/वैद्युत) पर आमेलन के लिए विचार किए जाने की दशा में आमेलन की तारीख से पहले उसके द्वारा उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हुई होनी चाहिए।<br><br>अनिवार्य : मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल/वैद्युत इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य के साथ रिहायशी /गैर रिहायशी भवनों के सन्निर्माण और अनुरक्षण जिसमें डिजायन, आक्कलन, संविदाएं, पर्यवेक्षण आदि भी है का दस वर्ष का अनुभव।<br><br>वांछनीय: वातानुकूलन प्रणाली, लिफ्टों/आंतरिक सज्जा/आर्किटेक्चर/वैद्युत संस्थापनों जिसमें सब-स्टेशन भी हैं के अनुरक्षण/रख-रखाव का अनुभव।<br><br>**भूतपर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन :**<br><br>सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। | | |

[फा. सं. 1(4)/2009-कार्मिक-III]

डॉ. अनिता भटनागर जैन, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम सं. सा.का.नि. 916 (अ), दिनांक 22.12.2009 द्वारा प्रकाशित किये गये थे।

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

**(Department of Information Technology)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th September, 2011

**G.S.R. 727(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following Rules to amend the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Information Technology (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2009, namely :-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Information Technology Group 'A' posts (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Information Technology (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2009, after serial number 12 relating to the post of Deputy Financial Adviser and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be respectively inserted, namely:-

**SCHEDULE**

| Name of post. | Number of posts. | Classification. | Pay band and Grade pay/ scale of pay. | Whether selection or non- selection post. | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| "13. Joint Director (Building) | * 01(2011)<br>* Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group A, Gazetted, Ministerial. | Pay Band-3; Rs.15600-39100 with Grade Pay of Rs. 7600. | Selection post. | Not applicable. |

| Age limit for direct recruits. | Educational and other qualifications for direct recruits. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees. | Period of probation, if any. | Methods of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods. |
|---|---|---|---|---|
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. | By promotion failing which by Deputation/absorption. |

| In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made. | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition? | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|
| 12. | 13. | 14. |
| Promotion : Executive Engineer (Civil/ Electrical) in PB-3, Rs. 15600-39100/- + Grade Pay of Rs. 6600/- with 5 years regular service in the grade.<br>Note 1 : Seniority does not entitle the incumbent for promotion to a higher post unless he fulfils the eligibility condition prescribed by the relevant rules. The incumbent must be eligible for promotion having regard to the qualifications prescribed for the post before he can be considered for promotion. Seniority will be relevant only amongst persons eligible. Seniority cannot be substituted for eligibility nor can it over-ride it in the matter of promotion to the next higher post.<br>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2006, the date from which the revised pay structure based on, the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/ pay scale extended based on the recommendations of the Commission.<br><br>Deputation: Officers of the Central Government/ State Government/ Public Sector Undertakings/ Autonomous bodies:<br>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/ Department; Or<br>(ii) Executive Engineer (Civil/ Electrical) in PB-3, Rs. 15600-39100/- + Grade Pay of Rs. 6600/- with 3 years regular service in the grade in the parent cadre/ Department.<br>Note I: The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or in some other organisation shall not ordinarily exceed three years. | Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of :<br>1. Head of Personnel, Department of Information Technology ---Chairman<br>2. Joint Secretary to the Government of India, Department of Information Technology - Member<br>3. Joint Secretary to the Government of India from a Ministry or a Department other than the Department of Information Technology - Member | Not applicable". |

3653 GI/14-2

Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

Note.3: For the purpose of appointment on deputation or absorption basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st day of January,2006 on the date from which the revised pay structure based on the Sixth central pay commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

Note 4: In case, the Executive Engineer (Civil/ Electrical) appointed in this Department on deputation is being considered for absorption, he/ she should have completed 5 years of regular service in the grade before the date of absorption.

Essential : Degree in Civil/ Electrical Engineering or equivalent degree from a recognized University alongwith ten years experience in construction and maintenance of residential/ non-residential buildings including designing, estimating, contracts, supervision etc.
Desirable : Experience in maintenance/ upkeep or air-conditioning system, lifts/ interior designing/ architecture/ electrical installations including working of sub stations.
For Ex-Serviceman: Deputation/re-employment:
The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be considered on re-employment.

[F. No. 1(4)/2009-Pers. III]

Dr. ANITA BHATNAGAR JAIN, Jt. Secy.

**Note : Principal Rules were published vide G.S.R. No. 916(E) dated 22nd December, 2009 .**

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.